

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1981/चैत्र 10, 1903

No. 119] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1981/CHAITRA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिमूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1981

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० वि० 243 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1914
के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है
कि इसमें उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिमूचना का, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की वक्त्यानी
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में श्रद्धा सशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
1	2
1 53/80 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख मई, 1980	13 उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में शब्द, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 1981" के स्थान पर "31 मार्च, 1982" अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।
2 54/80 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख मई, 1980	13 उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:— "2. पहले परन्तुक का मद (ब) 31 मार्च, 1982 तक, जिसमें यह विल भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।"
3 55/80 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख मई, 1980	13 उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:— "2. चतुर्थ परन्तुक की मद (ख) 31 मार्च, 1982 तक, जिसमें यह विल भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।"

[सं० 85/81-के० उ० फा० सं० 139/25/79-सी० एक्स० 4]

जे० आर० निभोरिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi the 31st March, 1981

CENTRAL EXCISE

G.S.R. 243(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the Notifications of the Government of India in the Ministry of Finance Department of Revenue, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. Notification No. and date No.	Amendment
(1)	(2)
(3)	
1. 53/80-Central Excises, dated the 13th May, 1980	In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words "31st day of March, 1981", the figures, letters and words "31st day of March, 1982" shall be substituted.
2. 54/80-Central Excises, dated the 13th May, 1980	In the said notification, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely : "2. Item (g) of the first proviso shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1982".
3. 55/80-Central Excises, dated the 13 th May , 1980	In the said notification, for paragraph 2, the follow in paragraph shall be substituted namely :— "2. Item (g) of the fourth proviso shall be in force up to and inclusive of the 31st day of March, 1982".

No. 85/81-C.E. F.No. 139/25/79-CX-4)

J.R. NEBHORIA, Under Secy.

